न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 18/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2015/ 00029)

गुरदीपसिंह पुत्र श्री मुख्त्यारसिह जाति जटसिंख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार भू. अ संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. परमजीतकौर पुत्री स्व. श्री प्रीतमसिह पत्नी स्व. श्री साहबसिह जाति जटसिख निवासी वार्ड नंबर 22 अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. सुखजीतकौर पुत्री प्रीतमसिह पत्नी श्री गुरमेलसिह जाति जटसिख हाल निवासी चक 5 एम डी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. हमीरकौर पत्नी स्व. श्री प्रीतमसिह जाति जटसिख निवासी 4 डी डी तहसील अनूप्रगढ जिला श्रीगंगानगर।

प्रत्यर्थीगण

5. मक्खनसिह पुत्र स्व. मुख्त्यारसिह जाति जटसिंख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

औपचारिक प्रत्यर्थी

उपस्थितः
1. श्री सुरेश मोहता – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री जगदीश शर्मा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3, 4
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 11.04.2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (भू.अ.) संगरिया के निर्णय दिनांक 01.05.2012 जिसके द्वारा नामान्तकरण सं. 394/7.10.11 के अमल दरामद जमाबन्दी में करने का आदेश दिया के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट गुरदीपसिह एवं रेस्पोडेन्ट सं. 5 मक्खनसिह ने तहसीलदार संगरिया मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया चक 20 एम जे डी, चक 21 एम जे डी, 27 ए एम पी, चक 30 एम जे डी, चक 28 एम जे डी में 1/3 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज कागजात सरकार है। उक्त वर्णित 1/3 हिस्सा की कृषि भूमि की वसीयत प्रार्थीगण के चाचा प्रीतम सिह दिनांक 07.08.1983 को कर दी थी। अतः वसीयतनामा में वर्णित कृषि भूमि का इन्तकाल प्रार्थीगण के पक्ष में किया जिस पर

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तहसीलदार (भू.अ.) संगरिया द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01.05.2012 द्वारा विरासतन दर्ज इन्तकाल को विधि सम्मत मानने तथा पटवारी हल्का को नामान्तकरण सं. 394 एवं 404 का अमल दरामद जमाबन्दी में करने का आदेश दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि पटवार हल्का बुगलावाली के ग्राम 21 एम जे डी में श्री प्रीतमसिह पुत्र हरदत्तसिह के नाम की खातेदारी कृषि भूमि ख. सं. 92 / 184 में .872 तथा 27 ए एमपी में खं सं. 95 / 167 में .661 हिस्सा कृषि भूमि स्थित थी। प्रीतमसिह ने अपने भतीजो मक्खनसिह व गुरदीपसिह के हक में यह जमीन एवं अन्य जायदाद के संबध में अपनी अंतिम वसीयत दिनांक 07.08.1983 को निष्पादित की जो उप पंजीयक के समक्ष दिनांक 12.09.1991 को पंजीबद्वशुदा है। प्रीतमसिह की पत्नी अपनी दोनो लड़किया को लेकर अरसा करीब 40–50 साल पहले अपने पीहर चक 4 डी डी चली गई। दिनांक 25.11.1987 को प्रीतमसिह के स्वर्गवास के बाद उक्त वर्णित वसीयत से मक्खनसिह व गुरदीपसिह वसीयत में वर्णित आराजी के मालिक व काबिज हुऐ। अपीलान्ट एवं मक्खनसिह द्वारा सयुक्त रूप से आवेदन प्रस्तुत कर वसीयत के अनुसार वसीयती इन्तकाल दर्ज करने का प्रार्थना की गई किन्तु प्रार्थीगणो की वसीयती इन्तकाल की पत्रावली जैरकार होने के बावजूद विरासत इन्तकाल स्वीकृति दिनांक 07.10.2011 को दे दी, जो गलत है। प्रीतमसिह को पूर्ण अधिकार था कि वह अपने हिस्से की जमीन की वसीसत किसी को भी कर सकता था। उसने अपनी जमीन की वसीयत अपने दोनो भतीजो के नाम ही की गई है जो उसक निकटतम परिवारिक सदस्य है। जब तक वसीयत को संक्षम सिविल न्यायालय निरस्त न कर दे तब तक वसीयत प्रभाव ही रहती है, व प्रभावी ही मानी जाती है। उक्त वसीयत के आधार पर वसीयतधारियो के नाम इन्तकाल दर्ज होना ही न्यायहित में आवश्यक है। मौका पर प्रतीमसिह के

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

वारिसान का कब्जा काश्त नही था। प्रतीमसिह के दोनो पुत्रियो की शादी हो चुकी है तथा दोनो अपने ससुराल में रहती है। प्रीतम सिह की पत्नी की आयु अधिक होने वृद्धावस्था व बीमारी के कारण इस उम्र मे काश्त करने योग्य नही रही है, जमीन को बेचकर रूपया पाने के लालच मे प्रत्यर्थी सं. 2 ता 4 यह समस्त कार्यवाही कर रहे है। विवादित भूमि पर प्रीतम सिह का हिस्सा तैयशुदा था तथा खातेदारी अंकित थी, स्वय प्रीतमसिह ने अपनी वयीयत में यह अंकित किया कि उसका जमीन मे 1/3 हिस्सा है तथा 1/3 हिस्से की जमीन कब्जा काश्त में बांटी हुई है। वसीयत पूर्णतया विधिवत थी तथा वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज किया जाना न्यायोचित था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 01.05.2012 निरस्त किया जावे। तथा वसीयती इन्तकाल दर्ज फरमाने की कृपा करे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट जिस तथाकथित वसीयत के आधार पर उक्त भूमि का इन्तकाल अपने नाम दर्ज करना चाहते है वो वसीसत फर्जी है। अपीलान्ट ने सारी कार्यवाही गुपचुप तरीके करवाई। वसीसत कर्ता ने वसीयत में यह कही नही लिखा कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। वसीयत कर्ता को वसीयत मे यह लिखना पड़ता है कि वह अपने पत्नी एवं पुत्रियो को उक्त भूमि में वंचित क्यो कर रहा है। इसके अलावा मृतक प्रीतमसिह को उक्त भूमि विरासतन प्राप्त होने के कारण उक्त भूमि की वसीयत करने का कोई अधिकार नही था। उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें उनका हक व हिस्सा है। पैतृक कृषि भूमि में पुत्रियो के अधिकार समाप्त नही किये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासतन इन्तकाल दर्ज को विधि सम्मत मानने तथा नामान्तकरण सं. 394 एवं 404 का अमल दरामद जमाबन्दी में करने का आदेश दिया है वो सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 4 के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 1995 पेज 27, RBJ (14) 2007 पेज 264, SRJ 1994 (4) पेज 94, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। तहसीलदार संगरिया के संमक्ष मखनसिंह वगैरह बनाम सुखजीतकौर वगैरह प्रकरण सं. 12/9.8.11 वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का विचाराधीन होते हुए तहसीलदार संगरिया के द्वारा नामान्तकरण सं. 394 ग्राम पंचायत के द्वारा निर्णय नही करने के आधार पर दिनांक 7.10.11 को वारिसान के हक मे निर्णित किया गया इस दौरान आदेश क्रमांक 1357 –58 दिनांक 21.10.11 के द्वारा नामान्तरकरण विरासतन राजस्व रिकॉर्ड में अमल नही करने का पत्र पटवारी हल्का इन्द्रपुरा/बुगलावाली द्वारा जारी किया तत्पश्चात वसीसत संबधी विचाराधीन प्रकरण में दिनांक 1.5.12 को निर्णय करते हुए प्रार्थना पत्र वसीयत के आधार पर नामान्तकरण को खारिज कर स्वीकृत शुद्धा नामान्तरकरण सं. 394 का अमल जबाबन्दी में करने का आदेश पारित किया गया। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन भूमि के सम्बन्ध में नियमित वाद एवं स्थगन प्रार्थना पत्र न्यायालय सहायक कलक्टर संगरिया के न्यायालय में विचाराधीन होने के तथ्य माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 26.10.2015 निगरानी/टी ए/4223/2015 /हनुमानगढ, गुरदीपसिह बनाम हमीरकौर से स्पष्ट है कि सहायक कलक्टर संगरिया के निर्णय दिनांक 27.05.2014 एवं राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 15.07.2015 के द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निरस्त किया है जिसकी पुष्टि मा. राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.10.2015 द्वारा की गई है। इस प्रकार उक्त प्रकरण मे यह तथ्य प्रमाणित होते है कि तहसीलदार संगरिया के संमक्ष वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण हेतु प्रकरण विचाराधीन होते हुए विरासतन नामान्तकरण सं. 394 निर्णित किया गया। तत्पश्चात इन्ही नामान्तरकरण के आधार पर वसीयत के प्रकरण का निर्णय कर दिया जो कि विधिक प्रक्रिया के विपरित है। उक्त प्रकरण में नियमित वाद भी पक्षकारान के मध्य विचाराधीन होना स्पष्ट है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है। इस संबध में विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तो से विधिक स्थिति स्पष्ट है कि

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नामान्तकरण एक (Fiscal) फिस्कल कार्यवाही है और जब पक्षकारो के मध्य नियमित वाद विचाराधीन हो तब वाद के निर्णय अनुसार ही नामान्तकरण दर्ज किया जाना चाहिये। अतः अपील अपीलान्ट आशिक स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश खारिज किया जाता है। तथा प्रकरण तहसीलदार संगरिया को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण में नियमित वाद के निर्णयानुसार सुनवाई कर नामान्तकरण की कार्यवाही की जावे।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 11.04.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर